

सहकारी समिति की उपविधियाँ

संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक
सहकारिता
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

1-नाम और पता

- 1.(क) नाम समिति: वसुधरा मुक्तिबोध संस्कार सहकारी समिति लि० लखनऊ ।
(ख) कार्यालय पता: अवध एकेडमी, जरहरा, सूगामऊ रोड, इंदिरानगर, लखनऊ-226028
पोस्ट, अमरई गांव, इंदिरानगर. तहसील-सदर, जनपद-लखनऊ, उ०प्र० में स्थित होगा।

2-कार्यक्षेत्र

(क)कार्यक्षेत्र: लखनऊ जिला होगा।

3-परिभाषाएँ

3.इन उपविधियों में अभिव्यक्त:-

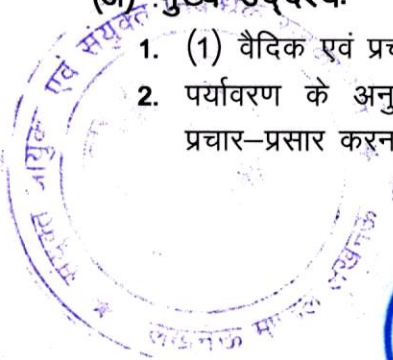
- (i) समिति का तात्पर्य वसुधरा मुक्तिबोध संस्कार सहकारी समिति लि० लखनऊ से है।
(ii) "केन्द्र" का तात्पर्य समिति द्वारा चलाये जा रहे लखनऊ जिला में स्थित शमशान घाट केन्द्रों से है।
(iii) "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 (उ०प्र० अधिनियम सं० 11, 1966) तथा जैसा वह समय-समय पर संशोधित होगा, से है।
(iv) "नियमावली" का तात्पर्य उ०प्र० सहकारी समिति नियमावली 1968 समय-समय पर यथा संशोधित से है।
(v) "नियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है।
(vi) "उपविधि" का तात्पर्य इस समिति की पंजीकृत उपविधि से है।
(vii) "निबंधक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-1 के अधीन सहकारी समितियों के निबंधक (रजिस्टार) के रूप में तत्समय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है तथा इसके अंतर्गत उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त ऐसे व्यक्ति से है जो निबंधक के सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करें।
(viii) "प्रबंध कमेटी" का तात्पर्य समिति की ऐसी कमेटी से है जिसे अधिनियम की धारा-29 के अधीन के कार्यों का प्रबंध सौपा गया है।
(ix) इन उपविधियों में प्रयोग किए गये शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही तात्पर्य होगा जैसा कि अधिनियम और नियमावली में निर्दिष्ट है।

4-उद्देश्य

4 समिति के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

(अ) मुख्य उद्देश्य:

- (1) वैदिक एवं प्रचलित रीति से संस्कार का ज्ञानबोध एवं जागरूकता।
2. पर्यावरण के अनुकूल अंतिम संस्कार में न्युनतम प्रदुषण वाले प्रक्रिया को बढ़ावा देना एवं प्रचार-प्रसार करना।

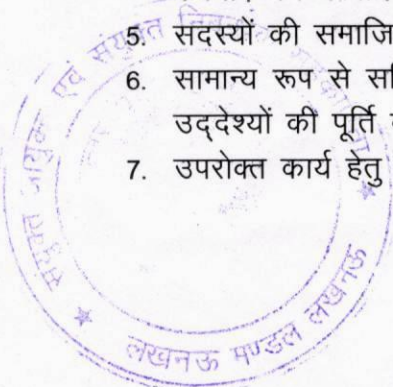


मुख्य प्रवर्तक

3. पर्यावरण के अनुकूल अंतिम संस्कार कराने वाली मशीनों का निर्माण करवाना/लगवाना, संचालन करना एवं गोबर के उपलों/लट्ठा तथा अन्य वैकल्पिक सामग्री के माध्यम से दाह संस्कार को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य।
4. बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या को देखते हुए श्मशान स्थलों का चिन्हांकन कराना। श्मशान/मुक्तिबोध स्थलों की देखभाल/रखरखाव करना, नवीनीकरण/सौन्दर्यीकरण करना, नये स्थलों को लीज/दान, खरीद आदि पर लेकर श्मशान घाट का निर्माण तथा संचालन करना।
5. श्मशान/मुक्तिबोध से निकलने वाले कचरा या अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण का कार्य आदि।
6. मृतक के अंतिम क्रिया-क्रम में व्यवस्था करना। मृत्यु स्थल/डेड बॉडी स्थल से श्मशान तक पहुंचवाना, श्मशान स्थल पर अंतिम क्रिया-क्रम में प्रयुक्त होने वाले समस्त वस्तुओं की व्यवस्था से लेकर मृत्यु पश्चात होने वाले समस्त संस्कार का क्रियान्वयन करने में सशुल्क सहयोग करना।
7. श्मशान के कार्यों से जुड़े समस्त कामगारों व अन्य कामगारों के जीवन उत्थान हेतु प्रशिक्षित करना, स्वावलम्बन हेतु रोजगार उपलब्ध करना।
8. सदस्यों तथा समाज/सरकार के सहयोग से लावारिस, अज्ञात शवों के अंतिम क्रिया-क्रम, असमर्थ गरीबों परिवार के शव को विधि-विधान से निःशुल्क दाह संस्कार/सहयोग करना।
9. शव हेतु परिवहन की व्यवस्था/संचालन करना।
10. बृद्ध आश्रम के निर्माण, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था/संचालन करना।
11. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, जनप्रतिनिधि निधि से संस्कार व अन्य कार्य हेतु सहयोग लेना।
12. शरीर दान/अंगदान/रक्तदान/ को बढ़ावा देने हेतु प्रचार-प्रसार करना एवं शिविर लगवाना। एम्बुलेन्स की व्यवस्था/संचालन कराना।
13. अंतिम संस्कार में उपयुक्त होने वाली समस्त वस्तुओं/पूजा सामग्रियों के क्रय-विक्रय केन्द्र संचालित करना/कराना।
14. सहकारिता का प्रचार-प्रसार करना, सर्वेक्षण शोध, प्रशिक्षण देना इत्यादि कार्य।
15. सरकारी संस्थाओं में आपसी सम्पर्क सहयोग तथा समन्वय की वृद्धि करना, सहकारिता के क्षेत्र में प्रारम्भ जनकल्याण शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयास एवं सहयोग करना।

4 (ब) गौण उद्देश्य:-

1. घाटो, नदियों, पोखरों आदि की साफ-सफाई, वृक्षारोपण, सौन्दर्यीकरण व अन्य कार्य।
2. पर्यावरण के अनुकूल, विधि-विधान से मुर्तियां, अन्य पूजा सामग्रियों का विसर्जन एवं अवशेषों का समाज/स्थानीय निकाय/सरकारी संस्थाएं के सहयोग से निदान कराना।
3. पशुओं के शव निस्तारण हेतु सामयिक व समुचित व्यवस्था कराना तथा तत्संबंधित संचालन कार्य।
4. घरेलू/अस्पताल/औद्योगिक संस्थानों से अपशिष्ट/अवशिष्ट का क्रय-विक्रय करना या प्रसंकरण करना। नये उत्पाद तैयार कर विक्रय आदि कार्य।
5. सदस्यों की समाजिक, नैतिक तथा आर्थिक दशा का सुधारने का प्रयास करना।
6. सामान्य रूप से समिति के व्यवसाय बढ़ाने और विकास करने के लिए किसी एक या समस्त उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे अन्य कार्य करना जोकि इस दिशा में सहायक एवं हितकर हो।
7. उपरोक्त कार्य हेतु भूमि, भवन, दुकान, आदि लीज/दान/क्रय इत्यादि करना।



(Signature)

मुख्य प्रवर्तक

5-सदस्यता

निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इन समिति का सदस्य न होगा, अर्थात्

(क) अधिनियम की धारा 18 को उपधारा (4) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो अपने पर प्रवृत्त विधि के अनुसार वयस्क हो तथा जो स्वस्थ चित का हो और अपने प्रवृत्त विधि के अनुसार संविदा करने के लिये अनर्हित न हो।

(ख) "कोई अन्य प्रारम्भिक सहकारी समिति"

(ग) राज्य सरकार;

(घ) कोई अन्य निगसित निकाय, निबन्धक को पूर्व अनुमति से, जो किसी भी रूप में समिति के कार्य में सहायक सिद्ध हो।

(1) समिति में निम्न प्रकार के सदस्य होंगे—

(अ) साधारण सदस्य—

(i) समिति के कार्य-क्षेत्र का निवासी कोई व्यक्ति विशेष, जो कि सामाजिक कार्य, बोध संस्कार में रुचि अथवा जानकारी रखता है, होना।

(ii) राज्य सरकार

(iii) सदस्यता हेतु 100 रु० का शुल्क अदा करेगा, जोकि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(ब) नाममात्र सदस्य—

(i) कोई व्यक्ति जिसके साथ समिति कारोबार करती हो या कारोबार करने का विचार रखती हो नाम मात्र सदस्य बनाया जा सकता है।

(ii) नाम-मात्र की सदस्यता को समिति के लाभ में कोई हिस्सा पाने का अधिकार न होगा और वह न ही वह प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता ग्रहण करने का पात्र होगा तथा उसे किसी प्रकार के मतदान करने का अधिकार भी न होगा।

(iii) सदस्यता हेतु 50 रु० का शुल्क अदा करेगा, जोकि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(2) (i) कमेटी, नियम 38 के प्राविधानों के अनुसार सदस्यों को उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना-पत्र देने पर भर्ती करेगी;

(ii) नाम मात्र सदस्यों को भर्ती कमेटी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी;

(iii) सदस्यता अस्वीकृत किये जाने की दशा में संबंधित व्यक्ति को अधिनियम के प्राविधान के अंतर्गत निबन्धक की अपील करने का अधिकार होगा।



24 10

मुख्य प्रवर्तक
बसुन्धरा मुक्तिबोध संस्कार

(iv) प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे, जो समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे सदस्यों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य को एक सौ रुपया प्रवेश शुल्क देना होगा। जिसे किसी भी दशा में सदस्य को वापस पाने का अधिकार न होगा।

(3) सदस्य होने के पश्चात हर व्यक्ति—

(i) इस विषय के एक घोषणा-पत्र प्रपत्र 'स' पर हस्ताक्षर करेगा कि वह समिति को वर्तमान उपविधियों और उसको सदस्यता की अवधि में उनमें किये गये परिवर्तनों तथा संशोधनों यदि कोई हों, का पालन करने को बाध्य होगा;

(ii) सामान्य निकाय अथवा प्रबन्ध 'कमेटी के निर्णयों, विनियमों तथा नियमों का पालन करने को भी बाध्य होगा ;

(iii) निर्धारित सदस्यता शुल्क का भुगतान करेगा;

(iv) एक या अधिक, जैसा निश्चित किया गया हो अंशों की धनराशि का भुगतान करेगा ।

(v) उक्त उपविधि 5 (3) में अपेक्षित बातों की पूर्ति किये बिना किसी व्यक्ति की सदस्यता के अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार न होगा ।

(vi) किसी भी सदस्य पर अपने अनुबंध को भंग करने का अपराधी पाये जाने पर कमेटी द्वारा जुर्माना किया जा सकता है जो 100 रु० से अधिक न होगा अथवा उसे समिति से निकाला जा सकता है।

(4) सदस्यता नीचे लिखी दशाओं में समाप्त हो जायगी:—

(i) मृत्यु होने पर;

(ii) त्याग-पत्र देने पर;

(iii) हटाये या निकाले जाने पर;

(iv) नियमानुसार किसी अपने मनोनीत अथवा किसी अन्य व्यक्ति को समिति में अपना समस्त हिस्सा या हित हस्तान्तरित कर देने पर ;

(v) वह वांछित अर्हताओं की पूर्ति न करता हो या नियमों अथवा इन उपविधियों के अधीन व्यवस्थित अनर्हता अर्जित कर ली हो ;

(vi) वह अधिनियम नियमों और समिति को उपविधियों के उप-बन्धों का उल्लंघन करके समिति का सदस्य बनाया गया हो ।

(vii) समिति का कोई सदस्य कमेटी को एक माह का नोटिस देकर सदस्यता से हट सकता है बशर्ते कि इस पर समिति का कोई देय शेष न हो या वह किसी अदत्त ऋण का प्रतिभूति न हो।

(viii) (अ) कमेटी किसी सदस्य को समिति की सदस्यता से नियम 56 के प्राविधानों के अनुसार हटा या निकाल सकती है;



[Signature]

मुख्य प्रवर्तक
वसन्धरा मक्तिबोध संस्कार

(ब) नियम 57 तथा 58 में निर्धारित कार्यवाही करने के पश्चात् समिति का कोई सदस्य कमेटी के उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पास किये गये प्रस्ताव पर सदस्यता से हटाया या निकाला जा सकता है।

(5)– सदस्यों का दायित्व–

(i) साधारण सदस्य का समिति के ऋणों के लिये दायित्व उसके द्वारा खरीदे गये हिस्से के दस गुना तक होगा।

(ii) नाम मात्र या सम्बद्ध सदस्य भले हो समिति का दायित्व कुछ भी हो समिति के समापित किये जाने पर उसको परिसंपत्तियों में अंशदान करने के लिये जिम्मेदार न होगा, सिवाय किसी ऐसे देयों के प्रतिदान के लिये जिनका वह अकेले या किसी अन्य ऋणदाता के साथ संयुक्त रूप से समिति के देनदार हो।

(6) सदस्य के अधिकार—

(1) समिति के प्रत्येक साधारण सदस्य को, चाहे समिति की पूँजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) देने का अधिकार होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा यदि—

(i) यह बाकीदार है और कम से कम छः मास की अवधि पर्यन्त बाकीदार रहा है; या

(ii) वह ऐसी बाकीदार समिति का जैसा कि उपखंड (I) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनार्थ शब्द "बाकीदार" का तात्पर्य—

(i) ऐसे सदस्य से है (चाहे यह कोई व्यक्ति हो या निगमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो; या

(ii) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से है जिसने देय दिनांक को कुल देयों के कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।

(2) प्रत्येक व्यक्ति विशेष सदस्य प्रत्येक प्रतिनिधि तथा प्रत्येक नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को सहकारी समिति के प्रशासन में स्वयं मतदान करेगा और किसी भी सदस्य प्रतिनिधि अथवा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को दूसरे के माध्यम से मतदान करने की अनुज्ञा न होगी;

6. पूँजी

समिति की पूँजी निम्न प्रकार बनेगी:—

(i) अंश पूँजी,

(ii) ऋण और अमानते,

(iii) आर्थिक सहायता



Handwritten signature and date 22

मुख्य प्रवर्तक
वसुन्धरा मुक्तिबोध संस्कार

- (iv) अन्य निधियां तथा लाभ
- (v) सुरक्षित कोष,
- (vi) सदस्यता शुल्क, चन्दें।

7. हिस्सा

- (i) एक हिस्से का मूल्य रू0 100 (एक सौ रूपया) होगा, जो एकमुश्त अदा किया जायगा। कोई सदस्य कुल बिके हुए हिस्से का $1/5$ भाग धनराशि से अधिक हिस्से न खरीद सकेगा ;
- (ii) कोई सदस्य अपना हिस्सा तब तक हस्तान्तरित नहीं कर सकता जब तक कि—
 - (अ) वह कम से कम एक साल तक उसका मालिकन रहा हो;
 - (ब) हिस्सा लेने वाला व्यक्ति समिति का सदस्य हो और सदस्यता की योग्यता न रखता हो ।
- (iii) हिस्सों का कोई भी हस्तान्तरण बिना प्रबन्ध कमेटी को स्वीकृति के न होगा।

8. समिति का प्रबन्ध व संचालन

समिति का प्रबन्ध व संचालन अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए निम्न निकायों व अधिकारियों में निहित होगा—

- (अ) साधारण सभा
- (ब) प्रबन्ध कमेटी,
- (स) सभापति/उपसभापति
- (द) सचिव

8(अ) साधारण सभा (सामान्य निकाय): समिति का अंतिम अधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में अधिनियम व नियमों में प्राविधानों के अधीन रहते हुए निहित होगा। समिति का सामान्य निकाय अधिनियम तथा नियमों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित ढंग से संगठित होगा:—

(i) समस्त साधारण सदस्य द्वारा और यदि उनकी संख्या 250 से अधिक नहीं है। यदि सदस्य संख्या 250 से अधिक हो जाय तो नियम-84 के अर्न्तगत प्रत्येक 10 सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र बनाकर निबन्धक के अनुमोदन से एक-एक प्रतिनिधि का चुनाव करके ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव वार्षिक सामान्य निकाय को बैठक में नोटिस जारी करने के 15 दिन पूर्व तक करा दिया जायगा :

- (i) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रबन्ध कमेटी समिति के सदस्य ।
- (ii) यदि राज्य सरकार सदस्य नहीं है तो रजिस्ट्रार द्वारा नामित प्रबंध समिति का सदस्य;



[Handwritten signature]

(iii) सामान्य निकाय को विशेष बैठकों के अतिरिक्त अन्य बैठकों को गणपूर्ति सामान्य निकाय के कुल सदस्यों को संख्या का 1/5 अथवा 50 जो भी कम हो, से होगी ।

(iv) सामान्यतया वार्षिक सामान्य बैठक के अतिरिक्त जब और जैसा आवश्यकता हो, समिति की सामान्य निकाय को बैठक होगी । जिसमें समिति को प्रगति तथा भविष्य के कार्यक्रम तथा अन्य आवश्यक विषयों पर विचार होगा ।

(v) (अ) समिति के वार्षिक सामान्य बैठक, अधिनियम तथा नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सहकारी वर्ष में वार्षिक विवरणियों तथा उनका लेखा परीक्षण हो 30 नवम्बर के अन्दर चाहे लेखा परीक्षण हो सका हो या न हो अथवा विशेष परिस्थितियों में निम्नवत द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर जैसी भी दशा हो, में होगी ।

(ब) निश्चित तिथि पर एजेन्डा में दिये गये विषयों के शेष रह जाने को दशा में शेष विषयों पर अगली निश्चित तिथि पर विचार किया जायगा ।

(स) गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई बैठक अगली तिथि पर सामान्य निकाय के कुल सदस्यों की संख्या 1/10 या 25 सदस्यों जो भी कम हो, को गणपूर्ति से होगी । इसकी सूचना सभी सदस्यों को नियमानुसार देना होगा ।

(vi) वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :—

(क) प्रबन्ध कमेटी द्वारा आगामी सहकारी वर्ष के लिये तैयार किये गये समिति के कार्यक्रम का अनुमोदन ;

(ख) नियमों और समिति की उपविधियों के अनुबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का तथा प्रबन्ध कमेटी के लिये चुने गये सदस्यों में से सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन, यदि कोई होना हो;

(ग) गत सहकारी वर्ष के रोकड़-पत्र (बैलेंस शीट) और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श, यदि नियमों में निश्चित अवधि के अन्दर लेखा परीक्षा पूरी हो गयी हो ।

(घ) लेखा परीक्षा की आपत्तियों के सारांश पर विचार करना, या आडिट नोट मिल गया हो;

(ङ) आगामी सहकारी वर्ष के लिये समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना ;

(च) शुद्ध लाभ का निस्तारण,

(छ) आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार;

(ज) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष लाया जाय ।

(vi) सामान्य निकाय की विशेष सामान्य बैठक, अधिनियम व नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट कार्यों के लिये नियत रीति से बुलाई जायेगी तथा तदनुसार उसकी समस्त कार्यवाही होगी ।

(vii) समिति की सामान्य बैठक समिति के कार्यालय या उसके निकटतम सार्वजनिक स्थान पर जैसा प्रबन्ध कमेटी तय करे, की जायेगी ।



Handwritten signature and initials.

मुख्य प्रवर्तक

(viii) समिति के सामान्य निकाय की बैठकों को बुलाने के लिये नोटिस का समय निम्न प्रकार होगा—

सभी प्रकार की बैठकों के लिये कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 30 दिन का नोटिस का समय होगा।

8(ब) प्रबन्ध कमेटी

(1) प्रबन्ध कमेटी निम्न प्रकार बनेगी, परन्तु किसी भी दशा में प्रबंध कमेटी के सदस्यों की संख्या 13 से अधिक नहीं होगी:—

(i) व्यक्तिगत साधारण सदस्यों द्वारा निर्वाचित 11 व्यक्ति;

(ii) राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत नामित दो सदस्य यदि कोई है।

अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि प्रबंध कमेटी में एक पद अनुसूचित जाति/जनजाति एक पद पिछड़ा वर्ग हेतु तथा दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(2)—यदि प्रबन्ध कमेटी के चुने हुए सदस्यों में कोई आकस्मिक स्थान रिक्त होता है, तो वह स्थान पद को शेष अवधि के लिये आमेलन करके शेष सदस्यों द्वारा भरी जा सकती है। यदि नाम-निर्दिष्ट सदस्य का स्थान रिक्त है तो शेष अवधि के लिये नाम-निर्देशन करने वाले अधिकारी से नाम-निर्दिष्ट करने को प्रार्थना की जायेगी।

8(ब)(i) प्रबंध कमेटी की सदस्यता के लिये अनर्हतायें

(क) कोई भी व्यक्ति इस सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि

(1) उसको आयु 21 वर्ष से कम हो।

(2) वह दिवालिया घोषित हो।

(3) वह विकृत चित्त, वह गूंगा या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो;

(4) उसे निबंधक की राय में नैतिक पतन संबंधित अपराध के लिये दण्ड दिया गया हो और ऐसे दण्ड अपील में रद्द न किया गया हो।

(5) वह या निबंधक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबंधक को अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्य-क्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू कर दे या करता हो, जैसा समिति करती हो;

(6) वह अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यापार या संविदा करे;

(7) वह समिति के अन्तर्गत अथवा उससे सम्बद्ध किसी समिति के अन्तर्गत कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो;

(8) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट संबंधी हो;

(9) वह समिति में सामान्य निकाय का सदस्य न हो;



मुख्य प्रवर्तक
वसुन्धरा मुक्तिबोध संस्कार
सहकारी समिति लि०

- (10) वह पर्याप्त कारण के बिना प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो;
- (11) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया हो, अब जब कि दोष-सिद्ध के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो;
- (12) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश को पूर्ति न हुई हो;
- (13) यदि वह अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणों के संबंध में समिति या किसी अन्य सहकारी समिति या किसी अन्य सहकारी समिति का कम से कम 6 माह से बाकीदार हो ;
- (14) वह तीन अन्य सहकारी समितियों को प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो;
- (15) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति अथवा निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिये पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;
- (16) वह किसी ऐसे सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसको प्रबन्ध कमेटी का सदस्य हो जो बाद में निबन्धक द्वारा धारा 72 की. उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गई हो कि समिति का निबन्धन कपट-पूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो;
- (17) वह अधिनियम और नियमों या समिति को उपविधियों के किसी उपबन्धों के अधीन अन्यथा अनर्ह हो ।

स्पष्टीकरण—समिति का कोई सदस्य समिति में केवल शारीरिक काम के लिये मजदूरी प्राप्त करने पर समिति के लाभप्रद पद पर न समझा जायगा ।

(18) यदि उसके विरुद्ध समिति ने किसी बकाया के संबंध में या अन्य प्रकार से कोई एवार्ड लिया हो और इस एवार्ड का भुगतान न हो गया हो ।

(ख) ज्यों ही संचालक मण्डल का कोई सदस्य नियमों या उक्त उपविधियों में वर्णित कोई अनर्हता अर्जित कर लेता है तो उसके विरुद्ध प्रबन्ध कमेटी द्वारा नियम 454 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

8 (ब) (ii)—कमेटी की बैठक को जब-जब आवश्यकता पड़ेगी और कम से कम महीने में एक बार अवश्य ही होगी । किसी कार्यवाही को करने के लिये कम से कम 1/3 या पांच संचालक सदस्यों की आवश्यकता होगी । प्रबन्ध कमेटी को बैठक के लिये सात दिन को नोटिस की आवश्यकता होगी । परन्तु विशेष परिस्थिति में तीन दिन की नोटिस पर भी प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलायी जा सकती है । प्रत्येक बैठक का सभापतित्व सभापति करेगा । उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति करेगा । दोनों को अनुपस्थिति में कोई सदस्य, जिसे उपस्थित सदस्य चुने, बैठक का सभापतित्व करेगा, प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उप सभापति सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक का सभापतित्व उस दशा में नहीं करेगा । जब ऐसे मसलों पर चर्चा होनी हो जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो ।



26
मुख्य प्रवर्तक
वनसुधरा मुक्तिबोध संस्कार
सहकारी समिति लि०